



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

10 मार्च 2026

## आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं द्वारा लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने [6 जनवरी 2026](#) को लाभांश की घोषणा संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित मसौदे जारी किए थे -

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026

2. निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और निदेशों को अंतिम रूप देने समय उपयुक्त संशोधन उसमें शामिल किए गए हैं। मास्टर निदेशों के मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण [अनुलग्नक](#) में दिया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों पर लागू मौजूदा निदेशों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित पाँच मास्टर निदेश, चार निरसन निदेश और एक संशोधन दिशानिर्देश आज जारी किए हैं। उक्त निदेश वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2026-27 से प्रभावी होंगे और लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वैध रहेंगे।

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026

- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026
- (x) भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी बैंकों द्वारा पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं की स्थापना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026